

फर्द अहकाम

(नियम 26)

.....मुकाम.....

विरेन्द्रसिंह / कलरासिंह

बनाम

विरेन्द्रसिंह / कलरासिंह

नं.

2424

सन्

2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व त
अहकाम जो इ
की तामील में

27/3/18

पत्रावली पेश हुई। पकील फरीकेन उपस्थित।

आज P.O. ता.

पधारने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु

दिनांक 17/1/18 को पेश करें।

आज्ञा से

रीड

सहायक कलेक्टर

(S.D.O.) गुलाबपुरा

18/6/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट
दुरडा पर पेश हुई। वादी विरेन्द्रसिंह उपस्थित।
जिनके द्वारा कथन किया गया कि अभी भूमि का
विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं, प्रकरण की कार्यवाही
निरस्त फरमाई जाये।

मैंने उपस्थित वादी को सुना। चूकि:
उनके द्वारा प्रकरण में भूमि का विभाजन नहीं करवाना
आज मेरे समक्ष जाहिर करने से इस प्रकरण की कार्यवाही
इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली शुमार
फैरल होकर दायर दफ्तर की। आदेश आज
दिनांक 18/6/2018 को खुली लोक अदालत कैम्प
कोर्ट दुरडा पर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

(S. D. O.) गुलाबपुरा

जिला-शीलवाड़ा



Handwritten notes on the left margin, including 'B.B.', 'रिजिस्ट्री', 'कलरासिंह', '27/3/18', '1/2', and other illegible scribbles.

Handwritten mark 'A'